सी.सं.14(39)/निबन्धन/ **हरिद्वार** /2011–12/तक./385 दिनाक 20-07-2012

भारत सरकार
(वित्त मंत्रालय)
कार्यालय आयकर आयुक्त
13–ए, सुभाष रोड, देहरादून

सेवा में,

सुमति फाउन्डेशन,
PAN AABAS4375C
बी–6 औधोगिक क्षेत्र, बलभद्रपुर,
कोटद्वार

विषय – आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12–कक में निबन्धन हेतु।

न्यास/संस्था का नाम एवं **सुमति फाउन्डेशन, PAN AABAS4375C बी–6 औधोगिक क्षेत्र, बलभद्रपुर, कोटद्वार** दिनाक **12.10.1995** संस्था ज्ञापन द्वारा गठित उपर्युक्त न्यास/संस्था ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12–कक के अन्तर्गत निर्धारित फार्म में पंजीकरण हेतु आवेदन दिनांक 12.05.2010 को प्रस्तुत किया है। संस्था को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12–कक (1) प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक. 12.05.2010 से निबंधन स्वीकृत किया जाता है।

2. यह प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान किया जाता है :–

(क) न्यास/संस्था आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर प्रत्येक वर्ष संबधित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आयकर रिटर्न दाखिल करे।

(ख) न्यास/संस्था द्वारा कार्यालय में ऑडिटेड एकाउन्ट्स की प्रति प्रत्येक वर्ष रिटर्न दाखिल करने की अंतिम निर्धारित तिथि से पहले प्रस्तुत करें।

(ग) यदि न्यास/संस्था के उद्देश्यों में कभी परिवर्तन किया जाता है तो न्यास/संस्था को फिर से धारा 12 क के अन्तर्गत आवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

(घ) ट्रस्ट/सोसायटी आयकर अधिनियम की सभी धाराओं का पालन करने के साथ–साथ यह सुनिश्चित करेगी कि आयकर अधिनियम में उल्लिखित पूर्त प्रयोजन की परिभाषा का उल्लंघन न हो।

(ङ) गरीब बच्चो से कम्पयूटर शिक्षा के लिये पैसे लिये जाने पर निबन्धन निरस्त किया जायेगा।

यदि उपरोक्त चार शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन न्यास/संस्था के द्वारा किया जाता है तो यह प्रमाण–पत्र रिटर्न दाखिल करने आथवा ऑडिटेड एकाउन्ट्स दाखिल करने की अंतिम निर्धारित तिथि अथवा न्यास/संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन की तिथि से निरस्त करने हेतु कार्यवाही की जाएगी।

1. आवेदन की प्रविष्टि कार्यालय में रखें गये धास 12–कक के आवेदन रजिस्टर में प्रपत्र संख्या 14/**20011–12** पर की गई है।

आयकर आयुक्त देहरादून

–Sd–
(डी0.पी0. सेमवाल)
आयकर आयुक्त, देहरादून

मोहर

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. न्यास/संस्था उपरोक्त को सूचनार्थ
2. आयकर अधिकारी–सहायक आयकर आयुक्त/उपायुक्त आयकर/ **वार्ड–1, – कोटद्वार** को यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अपर आयकर आयुक्त, **रेंज –हरिद्वार** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य आयकर आयुक्त, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषितं।

(अर्जुन सिंह)
आयकर अधिकारी (तकनीकी)
कृते आयकर आयुक्त, देहरादून